



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 735810

दस्तावेज ट्रस्ट (न्यास)

हम कि मुरलीधर यादव पुत्र श्री अखिलेश यादव व गिरधर यादव पुत्र श्री निजामुद्दीनपुरा, मऊ-निजामुद्दीनपुरा, मऊनाथ भंजन, जनपद-मऊ इस ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी हैं जो विगत 24.06.2024 को अस्तित्व में लाया गया। हम संस्थापक ट्रस्टी राजाजी सेवा गिरांगे मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, कौशल के उत्थान, अनुसूचित जाति के लोगों का उत्थान करने में विशेष रुचि रखने के कारण इस ट्रस्ट की स्थापना करते हैं। मैं मुरलीधर यादव मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम व गिरधर यादव महासचिव संस्थापक ट्रस्टी द्वितीय नियुक्त करते हुए श्री जगरनाथ जी विद्या ट्रस्ट नामक ट्रस्ट की स्थापना करने की घोषणा करते हैं ट्रस्ट का नाम, पता निम्नवत है।

ट्रस्ट (न्यास) का नाम-	श्री जगरनाथ जी विद्या ट्रस्ट (न्यास)	
ट्रस्ट का पता-	मुहल्ला	मालिखपुर (भीटी)
	पोस्ट	मऊनाथ भंजन
	थाना	कोल्हारी
	परगना	सदर
	जिल्ला	मऊ
	जनपद	मऊ

मुख्यालय- पंजीकृत कार्यालय मु०-मालिखपुर (भीटी) मऊनाथ भंजन, जनपद-मऊ, उत्तर प्रदेश आवश्यकतानुसार स्थानान्तरित किया जा सकता है।

- (1) श्री मुरलीधर यादव पुत्र श्री अखिलेश यादव, मु०-निजामुद्दीनपुरा, मऊ (मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम)
- (2) श्री गिरधर यादव पुत्र श्री विजय शंकर यादव, मु०-निजामुद्दीनपुरा, मऊ (महासचिव संस्थापक ट्रस्टी द्वितीय)
- (3) श्री रामलखन यादव पुत्र श्री विजय शंकर यादव, मु०-निजामुद्दीनपुरा, मऊ (सदस्य)
- (4) श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी स्व० धंशी, ग्रा०-बुढ़नापुर, किडिहरापुर, बलिया (सदस्य)

*(Handwritten signatures and marks)*



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(2)

AE 73681

- ५ (5) श्री हरिनाथ सिंह यादव पुत्र २४० पूर्णमासी, गा०-देऊपुर, गा०, माजीपुर (सादरस्य)
- ६ (6) श्रीमती निर्मला पत्नी श्री विजय गहादुर, गा०-तेन्दुली, पलिया, मऊ (सादरस्य)
- ७ (7) श्रीमती विना यादव पुत्री श्री शिवशंकर यादव, मु०-गालिवपुर (भीटी), मऊ (सादरस्य)
- ८ (8) श्री विजय शंकर यादव पुत्र श्री जगरनाथ यादव, मु०-निजामुद्दीनपुर, मऊ (सादरस्य)
- ९ (9) रेखा यादव पुत्री विजय शंकर यादव, मु०-निजामुद्दीनपुर, मऊ (सादरस्य)

ट्रस्ट का नाम-

श्री जगरनाथ जी विद्या ट्रस्ट (न्याय)

ट्रस्ट का पता-

मु०-गालिवपुर (भीटी), मऊनाथ भंजन, जनापद-मऊ

ट्रस्ट का मुख्यालय-

मु०-गालिवपुर (भीटी), मऊनाथ भंजन, जनापद-मऊ

ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र-

सम्पूर्ण भारतवर्ष

ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य-

ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य विना-विना स्थान पर शिक्षण संस्थाओं की

प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च स्तरीय महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्थानों तथा विविधतरा शिक्षण संस्थानों की

एवं अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों आदि की स्थापना करना। ग्रामीण क्षेत्रों में माध्यम व उच्च शिक्षण संस्थाओं की स्थापना

दलितों को उनके इच्छानुसार शिक्षा मुहैया कराना है। प्रौढ़ शिक्षण, व्यवसायिक शिक्षण, कृषि-विद्यालय,

इंजीनियरिंग कालेजों व विभिन्न खेलों की व्यवस्था करना एवं संचालन करना, शिक्षण के अलावा अन्य

कोश-कोशों में प्रकाश केंद्रों के द्वारा लिए हर सम्भव कार्य करना, स्थापना करना, काम शुरू करना, संचालन व

निःशुल्क शिक्षा के लिए ट्रस्ट हर सम्भव प्रायत्नशील रहेगा। ट्रस्ट भूमि मालिक व मूजों की व्यवस्था करके उनके

के किसी भी स्थान पर शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करके शिक्षा के माध्यम से निर्धन, माध्यम व उच्च

आत्म निर्भर कर उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठायेगा, लघु एवं कुटीर जसों की स्थापना करके उनके

संचालन करना, खादी प्रमोशन द्वारा चलानी गयी संस्थाओं हेतु अनुदान प्राप्त करना एवं संचालन करना

विद्यालय, अनाथालय, छात्रावास, सांस्कृतिक, संस्था आदि की स्थापना करना एवं संचालन करना। भारत

बालोत्थान, कुष्ठरोगी, अस्पताल, प्रेस की स्थापना एवं संचालन करना, सामाजिक पत्रिका, अखबार, संचालन करना

केन्द्र, उद्यान, साहित्य आदि संस्थाओं को खोलना एवं संचालन करना, नर्सिंग होम की स्थापना करना

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*  
107, Gaur...



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 73681

(3)

आपदा में जिला व राज्य प्रशासन का समय-समय पर आवश्यकतानुसार सहायता प्रदान करने के लिए सरकारी, अर्द्धसरकारी भूमि पर जिला व राज्य प्रशासन व राष्ट्रीय से समन्वय स्थापित कर कल्याणकारी योजनाओं का भी संचालन करेगा। किसी निजी भूमि को कृषि-विक्रय करना तथा आवश्यकतानुसार जमीन से संबन्धित संस्था को लीज (पट्टा) पर देना एवं बीटीसी, बीएड, बीपीएड, सार्वजनिक, शैक्षणिक, आवासीय एवं सामाजिक संस्थाओं की स्थापना करना तथा संचालन करना। निम्नलिखित संस्थाओं को शिक्षण एवं प्रशिक्षण (बीटीसी) संस्थान, सोनादेवी बालिका महाविद्यालय विजय कालिका प्रायः कल्याणकारी साइन्स, जगरनाथ जी विधि महाविद्यालय, विजय इन्जीनियरिंग कॉलेज आदि संस्थानों को शिक्षण एवं प्रशिक्षण में अन्य जो भी संस्थाएँ खोली जायेंगी उनका भाग ट्रस्ट की कार्यकारिणी द्वारा संचालित किया जाएगा।

**ट्रस्ट का कार्यकाल-** संस्थापक ट्रस्टी का कार्यकाल जीवन पर्यन्त होगा, यह ट्रस्टी को अपने पद पर बना रहेगा। प्रधान ट्रस्टी के अन्त में बाद संस्थापक ट्रस्टी की पत्नी या पुत्र, पुत्र का पुत्र, पुत्र की संस्थापक ट्रस्टी के पद का धारण करेंगे, इनके न रहने पर ट्रस्ट (न्याय) समिति के सदस्य द्वारा चुना जाएगा।

**ट्रस्ट की विधिक प्रतिबद्धता-** श्री जगरनाथ जी विद्या ट्रस्ट पंजीकृत अधिनियम 21, 1987 अन्तर्गत न्याय अधिनियम 1882 के अन्तर्गत।

**ट्रस्ट की सदस्यता-** ट्रस्ट में संस्थापक ट्रस्टी प्रधान एवं महासचिव संस्थापक ट्रस्टी द्वारा नियुक्त किये जायेंगे। कुल सदस्यों की संख्या 9 होगी एवं ट्रस्ट में किसी सदस्य को स्थान दिया जायेगा। प्रथम, द्वितीय की सहमति से 1,00,000.00 रुपये सदस्यता शुल्क जमा कराकर तथा संचालित किया जा सकता है तथा इस ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं के लिए ट्रस्ट एक आलम से प्रवृत्त रह सकती है। जिसमें ट्रस्ट के सदस्यों के अतिरिक्त रु० 25,000.00 सदस्यता शुल्क जमा कराकर नया सदस्य बनाये जा सकते हैं। जिसका कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा परन्तु प्रवृत्त समिति में प्रवृत्त संस्थापक ट्रस्टी तथा अन्य संचालित सभी संस्थाओं के संस्थापक ट्रस्टी ही होंगे।

*(Signature)*  
Principal  
G. M. ...



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(4)

ट्रस्टी के अधिकार एवं कर्तव्य-

१ मुख्य संस्थापक संरक्षक ट्रस्टी प्रथम -

1- संरक्षक ट्रस्टी (न्यास) के सभी शाखाओं एवं उपशाखाओं तथा जुड़ी हुई संस्थाओं के लिए आवश्यक निर्देश देगा।

2- संरक्षक द्वारा ट्रस्ट (न्यास) के कार्यक्षेत्र में लिये गये निवेश सर्वमन्त्र होगा।

3- संस्था के साधारण तथा एवं प्रबन्धकारिणी समिति के सभी चेदकों की आवश्यकता अनुसार

4- किसी भी विचारणीय विषय पर समानमत होने पर एक निर्णायक मत देगा।

5- आवश्यक कामकाज पर हस्ताक्षर करेगा एवं कार्रवाई करेगा।

6- ट्रस्ट (न्यास) के विकास से सम्बन्धित कार्यक्रमों का परामर्श देगा एवं कार्रवाई करेगा।

7- ट्रस्ट (न्यास) बाह्य एवं आन्तरिक नाशियों का निर्धारण करना एवं ट्रस्ट (न्यास) के विकास के लिए संसाधन इकट्ठा करना व ट्रस्ट (न्यास) के पराधिकारियों व सदस्यों को आवश्यकतानुसार सूचित व अवगत कराना मुख्य संरक्षक ट्रस्टी का कर्तव्य होगा।

8- मुख्य संरक्षक ट्रस्टी संस्थाओं के लिए भूमि भवन का उपा-विक्रय लीज (पट्टा) लेना एवं वित्त निस्तारण की पैरवी करेगा।

9- ट्रस्टी चल-अचल सम्पत्तियों को ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति के लिए देना या स्वीकार करेगा।

10- ट्रस्टी ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनुदान प्राप्त कर सकता है एवं उसे अपने उद्देश्यों के लिए

11- संस्था के कर्मचारियों की नियुक्ति, निलम्बन व बर्खास्तगी करने का अधिकार संस्था के उद्देश्यों के सुरक्षित है।

12- संस्थापक ट्रस्टी किसी भी समय किसी सदस्य को कारण बताकर 2/3 बहुमत से निकाल सकता है यह प्राविधान संस्थापक ट्रस्टी एवं उसके उत्तराधिकारी पर लागू नहीं होगा।

13- किसी भी सामान्य उद्देश्य से संस्था/समिति का संचालन एवं उसके विकास के लिए कार्य कर सकता है।

*[Handwritten Signature]*

S. G. N. Gupta P. C.  
Muzaffarnagar



उत्तर प्रदेश UTAR PRADESH

AE 73482

(5)

महासचिव संस्थापक ट्रस्टी द्वितीय-

- 1- मुख्य संरक्षक ट्रस्टी की अनुपस्थिति में उसके कार्य का सम्पादन महासचिव संस्थापक ट्रस्टी अपने हस्ताक्षर से करेगा तथा मुख्य संरक्षक ट्रस्टी को अवगत करायेगा।
- 2- बैठक बुलाना एवं सूचना देना।
- 3- ट्रस्ट (न्यास) के उन्नति के लिए निर्देश देना।
- 4- नये गणत्वों के लिए सहहस्ताक्षरित रसीद जारी करना।
- 5- ट्रस्ट (न्यास) में नये सदस्य बनाने संस्था में कर्मचारियों की नियुक्ति, विभाजन, पदोन्नति आदि का पूर्ण अधिकार महासचिव संस्थापक ट्रस्टी को होंगे।
- 6- ट्रस्ट (न्यास) के उन्नति हेतु विभिन्न विभागों या समन्वय स्थापित करने का अधिकार देना करना तथा ट्रस्ट (न्यास) के हित में समस्त वस्तुओं का सम्पादन करना।
- 7- अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो नियमानुसार होंगे।
- 8- ट्रस्ट (न्यास) में नये सदस्यों को सदस्य बनाने के लिए संरक्षक संस्थापक ट्रस्टी महासचिव संस्थापक ट्रस्टी दोनों के सहमति से सुनिश्चित करना तथा सम्पूर्ण सदस्यों की इसकी जानकारी देना।

सदस्य ट्रस्टी-

साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के निर्देश पर बैठकों में भाग लेना एवं ट्रस्टी सर्वोत्तम हित में निर्णय लेना एवं ट्रस्ट की योजनाओं में स्वार्थरहित भाव से सहयोग प्रदान करना।

ट्रस्ट (न्यास) के अंग-

ट्रस्ट (न्यास) निम्नलिखित दो वर्ग की होंगी।

- 1- साधारण सभा
- 2- प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट

साधारण सभा (गठन)-

साधारण सभा का गठन ट्रस्ट (न्यास) के सभी सदस्यों की मौजूदगी में किया जायेगा:

(Mr. Gauri Shankar  
Principal

*(Handwritten Signature)*

S. G. N. Govt. P. S. Col  
Muhamm. J. D. Govt. S. S.



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 73682

(6)

■ बैठकें-

1- साधारण बैठकें- ट्रस्ट (न्यास) के साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में दो बार मार्च व सित्त माह में होगी।

2- विशेष बैठक- दो तिहाई सदस्यों की लिखित मींग पर या आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक बैठक बुलाई जा सकती है।

सूचना अधि- साधारण समिति में प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट समिति का महसूबतिस 24 घण्टे पूर्व सप्ताह पूर्व बैठक की सूचना टाक अध्या दस्ती द्वारा देकर बैठक बुला सकता है। 24 घण्टे की सूचना पर साधारण सभा सदस्यों की बैठक बुलाई जा सकती है।

गणपूर्ति- बैठक में सारकों की गणपूर्ति का परिणाम उपस्थिति लेना अवश्य है। कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 होगी।

विशेष वार्षिक अधिवेशन- साधारण सभा का विशेष वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार सित्त माह में होगा।

ट्रस्ट के साधारण सभा के कार्य- साधारण सभा ट्रस्टियों के निम्नलिखित कार्य करेगा।  
(अ) वार्षिक आय-व्यय बजट पेश करना।

(ब) ट्रस्ट (न्यास) के विकास हेतु अगले वर्ष के लिए योजना एवं बजट निर्धारण करना।

(स) प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के प्रबन्धकारियों एवं सारकों का चयन करना।

(द) ट्रस्ट (न्यास) के विकास के लिए समग्र-समग्र पर सारकों सारकों को करना।

ट्रस्ट (न्यास) की प्रबन्धकारिणी समिति-

गठन- साधारण सभा के सदस्यों द्वारा प्रबन्धकारिणी समिति का गठन किया जायेगा। प्रबन्धकारिणी समिति में प्रबन्धक, उपप्रबन्धक, अध्यक्ष, सहायक, कोषाध्यक्ष एवं सदस्य। समिति में ट्रस्ट के सदस्यों का चयन कर सकते हैं लेकिन प्रबन्धक पद संस्थापक ट्रस्टी का होगा या संस्थापक ट्रस्टी द्वारा चुना जायेगा।

*Handwritten signature*


अन्वेषिते दे शोधे सध पुन विवेक २ २२२




क्र.सं. नाम वास्तविक अनामक/अनामिक



क्र.सं. नाम वास्तविक अनामक/अनामिक




क्र.सं. नाम वास्तविक अनामक/अनामिक



क्र.सं. नाम वास्तविक अनामक/अनामिक



क्र.सं. नाम वास्तविक अनामक/अनामिक



क्र.सं. नाम वास्तविक अनामक/अनामिक

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

(Dr. Gaur Shankar)  
S. G. P. G. ...  
Muhammad Gaur ...



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT. 73682

(7)

संस्थापक ट्रस्टी एवं महासचिव संस्थापक ट्रस्टी के सहमति से 25,000.00 रुपये सदस्यता शुल्क समेत प्रत्येक नये सदस्य बनाये जा सकते हैं। किन्तु ये सदस्य ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी एक संस्था के लिए मात्र 25,000 अधिकतम राशि 9 होगी एवं ट्रस्ट के सदस्यों से अलग होंगे तथा उनका कार्यकाल पाँच वर्षों तक होगा। ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो उस संस्था के किसी प्रकार का विलम्ब होता है तो अगले चुनाव तक वही प्रबन्ध समिति कार्य करती रहती है। प्रबन्ध समिति कास्तानी नहीं होगी तथा यदि प्रबन्ध समिति में किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो उस विवाद को 14 सभी अधिकार ट्रस्ट में निहित हो जायेगा और उस संस्था के प्रबन्ध समिति का सभी कार्य 14 दिनों में समाप्त किया जायेगा।

बैठकें—

सामान्य— सामान्य स्थिति में ट्रस्ट (न्यास) का महासचिव/संस्थापक ट्रस्टी प्रत्येक वर्ष ट्रस्टी के मुख्य संरक्षक संस्थापक ट्रस्टी की अनुमति से बैठक बुलायेगा।

विशेष— विशेष बैठक प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी का 2/3 सदस्यों की मौजूदगी में प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति का महासचिव बुलायेगा।

सूचना अधि— सकारण स्थिति में प्रबन्धक ट्रस्टी समिति, महासचिव संस्थापक ट्रस्टी एक सप्ताह की सूचना पर प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति की बैठक बुला सकते हैं विशेष बैठक के लिए प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति का महासचिव संस्थापक ट्रस्टी 24 घण्टे की सूचना पर बैठक बुला सकते हैं। सूचना पर बैठक अधिकांश डाक अफ्फर पोस्टिंग तथा समाचार पत्र द्वारा दी जा सकती है।

गणपूर्ति— प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के समस्त कार्यों की गणपूर्ति समिति के सभी सदस्यों के 2/3 उपस्थिति में पूर्ण मानी जायेगी।

रिक्त स्थानों की पूर्ति— यदि किसी सदस्य के अस्वाभाविक निधन या त्याग पत्र या निवृत्तिपत्र का प्रमाण हो जाने पर या ट्रस्ट (न्यास) से निष्कासित होने पर उसके स्थान पर प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी सदस्यों के 2/3 के बहुमत से भरा जायेगा जिसमें संस्थापक ट्रस्टी प्रथम एवं द्वितीय का अनुक्रमण आवश्यक है।

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature*  
(Dr. Gaur Shankar)  
Principal  
S.G. P.S. ...





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(9)

- 23- ट्रस्ट (न्यास) के आय-व्यय का ट.ए. परीक्षण-  
प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार किसी भी योग्य ऑडिटर से संस्था का आय-व्यय का परीक्षण कराया जायेगा।
- 24- ट्रस्ट (न्यास) द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदासती कार्यवाही के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश के ट्रस्ट (न्यास) द्वारा अथवा उसके विरुद्ध संस्था अदासती कार्यवाही के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति पर होगा जो किसी पदाधिकारी को ट्रस्ट (न्यास) के निमित्त नियुक्त कर सकती है।
- 25- ट्रस्ट (न्यास) के अभिलेख-  
ट्रस्ट (न्यास) के समस्त अभिलेख जैसे-सूचना रजिस्टर, सदस्यता रजिस्टर, रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, कंसा मुक्त संस्थापक ट्रस्टी के पास होंगे।
- 26- श्री जगरनाथ जी विद्या ट्रस्ट (न्यास) के पास इस सदस्यता बुक के माध्यम से एक लाख रुपये (एक हजार रुपये) प्रारम्भिक कार्य हेतु उपलब्ध है।
- 27- ट्रस्ट (न्यास) के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निरस्तण की कार्यवाही- ट्रस्ट (न्यास) के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निरस्तण की कार्यवाही इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्वयेत की जायेगी।
- 28- ट्रस्ट (न्यास) संस्था का किसी भी कारण से विघटन होता है तो उस दशा में ट्रस्ट (न्यास) का सम्पत्ति पर स्वामित्व संस्थापक ट्रस्टी का होगा।
- 29- हिन्दी, संस्कृत, उर्दू तथा अन्य प्राच्य भाषाओं से प्राइमरी जूनियर हाईस्कूल, उच्चतर कालेज, कलेज, शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थाओं रनातकोरर महाविद्यालय, विधि महाविद्यालय, पारिवारिक तकनीकी, चिकित्सा, धावसायिक, औद्योगिक आदि की स्थापना करना एवं उससे सम्बन्धित करना।

*M. S. G.*

Dr. ...  
*[Signature]*



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(10)

- 28वीं- संस्था को आगे बढ़ाने के लिए 12ए, 80जी, 10/23 व 35 एक्ट के अन्तर्गत मिलने वाले सुविधाओं को प्रदान करना।
- 29वीं- केन्द्र सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी समस्त परिशोधन एवं प्रयोग में संयोजित करना एवं गरीबी रोकथाम के नीचे सामान्य जनता को लाभान्वित करने के उद्देश्य से उन्नयन एवं लाभान्वित करना आदि।
- 29डी- आयकर अधिनियम 1961 की सुदृढत धाराओं का मूल्यांकन किया जाता रहेगा।

दिनांक : 24 मई 2010

*Handwritten signature*  
 उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश

दस्तावेज गवाह

*Handwritten signature of witness*

*Handwritten notes and signatures on the right side of the page.*

*Handwritten initials*

संस्था के अध्यक्ष का पता



*Handwritten signature and text at the bottom of the page.*

Principal

37 ..... 108 रकम को रूप में


24-05-10

संस्था

शान्ति


(28)

  
संस्था के अध्यक्ष  
शान्ति, 108, 109, 110 - मऊ



आज दिनांक 24/05/2010 को  
परी नं. 4 जिल्द नं. 7  
पृष्ठ नं. 339 से 360 पर क्रमांक 10  
रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रेशन अधिकारी के हस्ताक्षर

  
एमपीओ यादव  
उप निबंधक सदर  
मऊ  
24/5/2010

